LATEST

NEWS

Election

Date : 29th Oct. 2025

Office of Chief Electoral Officer Rajasthan

https:/election.rajasthan.gov.in/

Follow us on:

CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन 1950

दैनिक भास्कर
जयपुर 29-10-2025

एसआईआर • पश्चिम बंगाल में बीएलओ को हिंसा का डर, मांगी सुरक्षा

SIR पर विपक्ष मोर्चाबंदी कर रहा; कहा– यह लोकतंत्र के लिए खतरा

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 2 नवंबर को सभी दलों की बैठक बुलाई

भास्कर न्यूज | चेन्नई/तिरुवनंतपुरम/कोलकाता

12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के चुनाव आयोग के ऐलान पर सियासी गर्मी बढ़ गई है। केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इसके विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं।

केरल के सीएम पिनराई विजयन ने इसे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया। कहा, बिहार एसआईआर की संवैधानिक वैधता सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद अन्य राज्यों में यह लागू करना उचित नहीं है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने एसआईआर के खिलाफ एकजुट मोर्चे के लिए 2 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उनका मुख्य विरोध आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं मानने का है। मुख्यमंत्री का कहना है कि यह लाखों वास्तविक वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर करने की साजिश है। साथ ही, चिंता जताई कि वे प्रवासी कामगार भी वोटर लिस्ट में जोड़े जाएंगे, जिनके पास आवश्यक दस्तावेज हैं। डीएमके इसका कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर विरोध करेगी। दलों को डर है कि इस प्रक्रिया से वोटर डेमोग्राफी बदल सकती है, जो चुनाव परिणामों पर असर डाल सकती है। हालांकि, भाजपा की सहयोगी एआईएडीएमके ने एसआईआर का स्वागत किया है। शेष | पेज 6 (शासन-प्रशासन पेज भी पढ़ें)

भास्कर नॉलेज
एक पेज का एन्युमरेशन फॉर्म आपको भरना है

- एन्युमरेशन फॉर्म (ईएफ) हर वोटर के लिए अलग प्रिंट होगा। यह तीन भागों में है।
- पहले हिस्से में वोटर नाम, इपिक नंबर, पता रहेगा। क्यूआर कोड, फोटो-बूथ की जानकारी। वोटर को नया फोटो लगाना होगा।
- दूसरे हिस्से में जन्मतिथि, आधार, मोबाइल नंबर, पिता, माता व जीवन साथी का नाम। अगर इपिक नंबर हैं तो उसकी जानकारी
- तीसरे भाग में पिछले एसआईआर का ब्योरा है। पिछले डेटाबेस में आपका या माता-पिता का नाम देखें। अगर है तो इसमें नाम, इपिक नंबर, जिला, राज्य, निर्वाचन क्षेत्र का नाम जैसी जानकारियां भरनी होंगी।

- पिछले एसआईआर डेटा मिलान करने में बीएलओ मदद करेंगे।
- आयोग का निर्देश है बीएलओ हर घर में कम से कम 3 बार जाएंगे।

बंगाल में आत्महत्या; ममता बोलीं- भय फैलाया जा रहा

उत्तर 24 परगना में 57 साल के प्रदीप कर ने जान दे दी। सुसाइड नोट में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस को मौत का जिम्मेदार बताया है। जांच में आया कि वह एसआईआर की घोषणा से अवसाद में था। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र को भय के मंच में बदल दिया है। (इनपुट : केए शाजी, प्रभाकर मणि तिवारी, आर. रामकुमार)

दैनिक भास्कर

जयपुर 29-10-2025

बिहार विवाद से सबक, एसआईआर में प्रदेश के 29 प्रतिशत मतदाताओं को दिखाने होंगे दस्तावेज

आधार अनिवार्य नहीं, SIR पूरा होने तक तबादलों पर रोक

भास्कर न्यूज | जयपुर

वोटर लिस्ट के विशेष गहन परीक्षण (एसआईआर) में प्रदेश में करीब 29 प्रतिशत मतदाताओं को दस्तावेज दिखाने ही होंगे। प्रदेश के 70.55 प्रतिशत वोटर्स को कोई दस्तावेज नहीं देना होगा । इसकी पुष्टि मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने करते हुए कहा कि बिहार में पहले फेज में दस्तावेज लेने से जो नेरेटिव बना था, उससे हमने सबक लिया। हमने पहले ही वोटर्स की मैपिंग शुरू करवा दी थी। हमारे 70 प्रतिशत से ज्यादा मतदाताओं को जिस दिन से एसआईआर की घोषणा हुई है, उस दिन से ही कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। सारे देश के वोटर लिस्ट का डेटा मशीन रीडिंग फॉर्मेट में उपलब्ध है। पहले दूसरे राज्यों की वोटर लिस्ट उपलब्ध नहीं होने से वेरिफिकेशन और जांच में वक्त लगता था। अब डबल नाम वालों को बाहर किया जाएगा। वोटर लिस्ट में जानबूझकर दो जगह नाम रखने पर एक साल की सजा का प्रावधान है। राजस्थान में एसआईआर के बाद हर बूथ पर 890 वोटर रह जाएंगे। उधर एसआईआर के बाद एक बूथ पर औसत 890 वोटर रह जाएंगे। 8819 नए पोलिंग बूथ हो जाएंगे। प्रदेश में इसके बाद 61309 पोलिंग बूथ हो जाएंगे।

महाजन ने कहा कि जब बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे, तब तक यह आंकड़ा 80 प्रतिशत पार तक जा सकता है। 27 अक्टूबर तक राजस्थान में 5 करोड़ 48 लाख 84,570 वोटर्स हैं। 2002 से 2005 की वोटर लिस्ट के बाद 70.55 प्रतिशत वोटर्स की मैपिंग हो चुकी है। मतलब इनके नाम पिछली एसआईआर से मैच हो चुके हैं। 70.55 प्रतिशत वोटर्स के नाम मैच हो चुके हैं, बाकी के मैच होने बाकी हैं। बीएलओ एप के माध्यम से 40 साल से ज्यादा एज के 79.32 प्रतिशत वोटर्स फीड हो चुके। 40 साल से कम उम्र के 22.22 प्रतिशत वोटर्स की मैपिंग हुई है।

पड़ोसी राज्यों सहित किसी भी प्रदेश से वोटर का मिलान हो सकेगा: महाजन ने बताया कि कई प्रदेशों की सीमाएं राजस्थान से लगती हैं। पहले दूसरे राज्यों के वोटर्स की मैपिंग यानी उन्हें खोजना मुश्किल था, क्योंकि वोटर लिस्ट नहीं थी। अब वोटर लिस्ट उपलब्ध होने से देश के किसी भी राज्य के वोटर को मैच कर सकेंगे। पुरानी एसआईआर की वोटर लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध है। डेटाबेस से मिलान आसान हो जाएगा।

राजस्थान वोटर मैपिंग में सबसे आगे, गुजरात, यूपी, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ पिछड़े : राजस्थान वोटर मैपिंग में 12 राज्यों की तुलना में सबसे आगे है। राज्यों में मैपिंग में राजस्थान सबसे आगे है। राजस्थान मेंस इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) नेट पर कुल मैपिंग 49.37 प्रतिशत हो चुकी है। गुजरात में 5.73 प्रतिशत, यूपी में 13.41 प्रतिशत, एमपी में 20.09 प्रतिशत, तमिलनाडु में 21.62 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 24.27 प्रतिशत वोटर्स की ही मैपिंग हुई है।

एक घर पर तीन बार जाएंगे बीएलओ, इसके बाद नहीं मिलने नोटिस चस्पा होगा: बीएलओ घर-घर जाकर गणना फॉर्म (ईएफ) भरेगा। हर वोटर को यह फॉर्म दिया जाएगा। कोई परिवार मान लीजिए बाहर गया हुआ है तो सामान्यतया वह एक महीने में वापस लौट आता है। बीएलओ हर घर पर जाकर तीन बार फॉर्म भरवाने का प्रयास करेगा। फिर भी कोई घर पर नहीं मिलते हैं तो बीएलओ फॉर्म घर पर डालकर नोटिस चस्पा करेगा। एक महीने में तीन बार बीएलओ जाएंगे।

एसआइआर : राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट की भूमिका भी बीएलओ के साथ महत्त्वपूर्ण होगी

मतदाता सूचियों का शुद्धीकरण सभी की जिम्मेदारी

राज कुमार सिंह
वरिष्ठ पत्रकार
एवं राजनीतिक
विश्लेषक
@patrika.com

अब दूसरे चरण में जिन नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में एसआइआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है, उनमें से पांच में अगले साल चुनाव हैं। विपक्ष की आशंका एसआइआर पर तो है ही, वह अगले साल ही चुनाव वाले असम में एसआइआर की घोषणा न करने पर भी आयोग से सवाल पूछ रहा है।

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के बीच ही बिहार में चुनाव भी हो रहे हैं और चुनाव आयोग ने नौ राज्यों एवं तीन केंद्रशासित क्षेत्र में इसके दूसरे चरण की शुरुआत भी कर दी है। एसआइआर की घोषणा के साथ ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, छत्तीसगढ़, गोवा, पुडुचेरी, लक्ष्यद्वीप और अंडमान-निकोबार में मतदाता सूचियां फ्रीज हो गई हैं। इनके विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी, जो खत फरवरी तक चलेगी। अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भी एसआइआर होगा ही। बेशक देश में एसआइआर पहली बार नहीं हो रहा। 1951 से 2004 तक आठ बार हो चुका है, लेकिन याद नहीं पड़ता कि इस जरूरी प्रक्रिया पर कभी इतना राजनीतिक विवाद हुआ हो।

विपक्ष एसआइआर को, सत्तारूढ़ भाजपा के हित में मतदाताओं के नाम काटने की साजिश बता रहा है। बिहार में जिस तरह 65 लाख मतदाताओं के नाम कटे, वह मामला तो सर्वोच्च न्यायालय तक गया। जिस तरह जीवित लोगों के नाम मृत बताकर काटे गए या फिर नाम काटने का कारण बताने और काटे गए नामों का विवरण देने की बाध्यता से चुनाव आयोग ने इनकार करना चाहा, उससे भी संदेह और सवाल गहराए। बाद में सर्वोच्च अदालत के निर्देश पर चुनाव आयोग ने मतदाताओं की पहचान के लिए मान्य दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड शामिल किया और नाम काटे। मतदाताओं का विवरण भी सार्वजनिक किया, लेकिन तब तक उसके और विपक्षी दलों के बीच अविश्वास की खाई चौड़ी हो गई। इस अविश्वास का ही परिणाम है कि एसआइआर के दूसरे चरण की घोषणा के साथ ही विपक्ष, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर हमलावर है। विपक्ष शासित तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल की सरकारें भी एसआइआर की प्रक्रिया और उसके इरादों पर सवाल उठा रही हैं। बिहार में एसआइआर के विरोध में विपक्ष का सबसे बड़ा तर्क था कि चुनाव से चंद महीने पहले क्यों? अब दूसरे चरण में जिन नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में एसआइआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है, उनमें से पांच में अगले साल चुनाव हैं। विपक्ष की आशंका एसआइआर पर तो है ही, वह अगले साल ही चुनाव वाले असम में एसआइआर की घोषणा न करने पर भी आयोग से सवाल पूछ रहा है।

सवाल केरल को लेकर भी है, क्योंकि पहले कहा गया था कि जहां स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, वहां एसआइआर नहीं कराया जाएगा। दोनों सवालों का जवाब भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया है। बकौल ज्ञानेश कुमार असम में एसआइआर के लिए अलग से स्पेशल ऑर्डर जारी किया जाएगा, जबकि केरल में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। इसके बावजूद विपक्ष का संदेह और सवाल बरकरार है तो विवाद के मूल में अविश्वास और दलगत राजनीति ही है। बेशक देश और प्रदेशों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है, पर बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली में राजनीतिक दलों के पूर्ण सहयोग और आयोग में विश्वास के बिना यह संभव नहीं।

मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के मद्देनजर बिहार में एसआइआर प्रक्रिया पर उठे संदेह और सवालों का जवाब तो चुनाव आयोग को देना है, पर पूरे प्रकरण में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स सरीखे संगठनों की सक्रियता क्या विपक्ष को भी कठघरे में खड़ा नहीं करती? चुनाव आयोग सार्वजनिक रूप से स्वीकार न भी करे, लेकिन 27 अक्टूबर को एसआइआर के दूसरे चरण की घोषणा और प्रक्रिया साफ संकेत है कि उसने बिहार के अनुभव से सबक सीखे हैं। बिहार से संदेश गया कि पात्र मतदाताओं को मताधिकार सुनिश्चित करने का अपना दायित्व चुनाव आयोग ने पूरी तरह मतदाताओं पर ही डाल दिया। विभिन्न कारणों से नाम काटने से पहले मतदाताओं को नोटिस देने की प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया। एसआइआर के दूसरे चरण के लिए घोषित प्रक्रिया से अलग ही संकेत मिलता है। ज्ञानेश कुमार ने बार-बार कहा कि लगभग 51 करोड़ मतदाताओं वाले दूसरे चरण में एसआइआर की कवायद का एक ही उद्देश्य है कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई अयोग्य मतदाता, सूची में रह न जाए। बीएलओ न सिर्फ घर-घर गणना फॉर्म उपलब्ध कराएंगे, बल्कि 2002-04 की एसआइआर सूची से घरवालों का नाम भी मैच करेंगे। गणना फॉर्म सभी मतदाताओं को भरना होगा। पुराने एसआइआर से मैच न करनेवाले मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे, जबकि ड्राफ्ट सूची में नाम शामिल न होने पर मतदाताओं को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए निर्धारित 12 दस्तावेजों से एक देना होगा।

जाहिर है, एसआइआर की प्रक्रिया सघन है और आम मतदाताओं को जटिल भी लग सकती है। ऐसे में आयोग के बीएलओ के साथ ही राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट की भूमिका महत्त्वपूर्ण होगी। बिहार की तरह एसआइआर प्रक्रिया में निष्क्रिय रहकर बाद में संदेह और सवाल उठाने के बजाय विपक्ष समेत सभी दलों के बीएलए अपनी भूमिका जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे, तो न सिर्फ मतदाताओं का काम आसान हो जाएगा, बल्कि मतदाता सूचियों का शुद्धीकरण भी दलगत राजनीति का शिकार होने से बच जाएगा।

देशव्यापी एसआइआर : फोकस अब समावेशन पर

बिहार के विवादों से सबक, आयोग ने प्रक्रिया में किए कई बदलाव

28 अक्टूबर से 12 राज्यों में शुरू हुआ दूसरा चरण

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने बिहार में जून 2024 में हुए विवादित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआइआर) से सबक लेते हुए देशभर के 12 राज्यों में इसका दूसरा चरण 28 अक्टूबर से शुरू किया है। इस बार प्रक्रिया में कई बदलाव किए गए हैं – अब फोकस 'सत्यापन' नहीं बल्कि 'समावेशन' पर है। बिहार में 2003 के बाद पंजीकृत मतदाताओं से नागरिकता और उम्र साबित करने के लिए दस्तावेज मांगे गए थे, जिससे भ्रम और विरोध हुआ। लेकिन देशव्यापी एसआइआर के तहत अब किसी दस्तावेज की मांग शुरुआती चरण में नहीं होगी। मतदाता की पहचान पिछले संशोधित रोल या उनके परिजनों के नाम से जोड़ी जाएगी।

नामांकन फॉर्म को भी नया रूप दिया गया है, जिसमें दो कॉलम जोड़े गए हैं ताकि मतदाता पुरानी सूची से अपना संबंध बता सकें। आयोग ने अब यह भी अनुमति दी है कि मतदाता किसी भी राज्य की पिछली संशोधित सूची से जुड़ सकें जिससे प्रवासी कामगारों को राहत मिलेगी। दस्तावेज केवल उन लोगों से मांगे जाएंगे जिनका नाम किसी भी राज्य की पिछली सूची में नहीं है। नए मतदाता अब 18 वर्ष की आयु पूरी करते ही फॉर्म-6 और घोषणा पत्र एक साथ दे सकते हैं।

मुख्य अंतर 7 बिंदुओं में

1. नागरिकता जांच के बजाय समावेशन पर फोकस।
2. फॉर्म में दो नए कॉलम, पुराने रोल से संबंध जोड़ने की सुविधा।
3. मतदाता किसी भी राज्य की पिछली संशोधित सूची से जुड़ सकते हैं।
4. प्रवासी मतदाताओं को अन्य राज्यों के पुराने रोल से जोड़े जाने की अनुमति।
5. दस्तावेज केवल उन्हीं से मांगे जाएंगे जो किसी पूर्व सूची में नहीं हैं।

6. नए मतदाता प्रारंभिक चरण में ही फॉर्म-6 और घोषणा पत्र दे सकेंगे।
7. इस बार सभी राजनीतिक दलों को शुरुआत से प्रक्रिया में जोड़ा गया है।

केरल-तमिलनाडु ने जताई तीखी आपत्ति

केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने देशव्यापी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआइआर) को चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर चोट बताते हुए इसे रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा, 'संविधान की रक्षा करने वाले संस्थानों को सत्ता पक्ष की कठपुतली नहीं बनना चाहिए।' राज्य विधानसभा पहले ही एसआइआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुकी है। वहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसे भाजपा की 'वोटर हटाओ साजिश' करार देते हुए 2 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

पंजाब केसरी
WED,29 OCTOBER 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 4

बिहार में बवाल से सबक, निर्वाचन आयोग अलर्ट...

राजस्थान में एसआईआर-1 करोड़ 64 लाख वोटर्स पर पैनी नजर

- बीएलओ घर-घर जाकर भरवाएगा फार्म
- बॉडर क्षेत्र और कच्ची बस्तियों में लटकी तलवार
- कई जगह मूल निवास व मतदाता पहचान पत्र बनने की शिकायत

जयपुर,28 अक्टूबर (ब्यूरो): चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही मंगलवार से राजस्थान में एसआईआर पर काम शुरू हो गया। निर्वाचन आयोग ने बिहार में हुए बवाल से सबक लेते हुए स्पष्ट किया है एसआईआर के पहले ही दिन से दस्तावेज देने नहीं होंगे, पहले मैपिंग का काम पूरा होगा। बीएलओ घर घर जाकर फार्म भरवाएंगा। बहरहाल राजस्थान में 5 करोड़ 48 लाख 84 हजार 570 वोटर्स है जिसमें 1 करोड़ 64 लाख वोटर्स पर पैनी नजर है। इसमें खासकर बॉर्डर क्षेत्र, मुस्लिम बाहुल्य ऐरिया और शहरों में बसी कच्ची बस्ती पर खास फोकस रहेगा। वहीं,एसआईआर की कवायद के साथ ही प्रदेश में बाहर से आए लोग अपने दस्तावेज जुटाने में लग गए।

एसआईआर में सबसे ज्यादा संदिग्ध बॉडर क्षेत्र और कच्ची बस्तियों में मिलने की संभावना है। दिन ब दिन कच्ची बस्तियों में रहने वालों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में एसआईआर के लिए पहले बीएलओ फार्म भरवाएंगे। पूरी जानकारी अपडेट होने पर लिस्ट तैयार की जाएगी। अगर निवास करने वाले की अपडेट ब्यौरा नहीं मिला तो वोटर लिस्ट से नाम करेगा।

प्रदेश में कई स्थानों पर बिना सम्पूर्ण दस्तावेजों के मूल निवास व अन्य प्रमाण पत्र बनने की शिकायत मिली है। भाजपा इसको लेकर पूरी मॉनिटरिंग कर रही है। कई स्थानों पर एक जगह से ही कई वोटर लिस्ट बनने की शिकायतें मिलती रही है। ऐसे में एसआईआर में गड़बड़ी पकड़ी जाएगी।

वोटर मैपिंग में 12 राज्यों में राजस्थान सबसे आगे

नवीन महाजन ने कहा-एसआईआर वाले राज्यों में मैपिंग में राजस्थान सबसे आगे है। राजस्थान में इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) नेट पर कुल मैपिंग 49.37 प्रतिशत हो चुकी है। गुजरात में 5.73 प्रतिशत, यूपी में 13.41 प्रतिशत, एमपी में 20.09 प्रतिशत, तमिलनाडु में 21.62 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 24.27 प्रतिशत वोटर्स की ही मैपिंग हुई है।

बीएलओ एक घर पर 3 बार जाएंगे फिर भी नहीं मिले तो नोटिस चस्पा

एसआईआर के लिए गणना फॉर्म (ईएफ) बीएलओ घर घर जाकर भरेगा। हर वोटर को यह फॉर्म दिया जाएगा। कोई परिवार मान लीजिए बाहर गया हुआ है तो सामान्यतया वह एक महीने में वापस लौट आता है। बीएलओ हर घर पर जाकर तीन बार फॉर्म भरवाने का प्रयास करेगा। फिर भी कोई घर पर नहीं मिलते हैं तो बीएलओ फॉर्म घर पर डालकर नोटिस चस्पा करेगा। एक महीने में तीन बार बीएलओ जाएंगे।

बॉर्डर वाले पड़ोसी राज्य की वोटर लिस्ट से भी होगी जांच

राजस्थान की सीमाएं अन्य कई प्रदेशों से लगती हैं। पहले दूसरे राज्यों के वोटर्स की मैपिंग यानी उन्हें खोजना मुश्किल था, क्योंकि वोटर लिस्ट नहीं थी। लेकिन अब वोटर लिस्ट उपलब्ध होने से देश के किसी भी राज्य के वोटर को मैच कर सकेंगे। पुरानी एसआईआर की वोटर लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध है। डेटाबेस से मिलान आसान हो जाएगा। संदिग्ध नाम सामने आ जाएंगे।

ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसम्बर को, डुप्लीकेट व बाहर जा चुके लोगों के नाम हटेंगे

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के अनुसार एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को प्रकाशित होगी। ड्राफ्ट लिस्ट में मृत वोटर्स, डुप्लीकेट नाम वाले वोटर्स, स्थायी रूप से बाहर बस चुके वोटर्स और दो जगह वोटर लिस्ट में नाम वालों के नाम हटाए जाएंगे। हटाने वाले नाम वेबसाइट पर सार्वजनिक किए जाएंगे। जिनके नाम पिछली एसआईआर की वोटर लिस्ट में हैं, उन्हें कोई दस्तावेज नहीं देना है। माता पिता या दादा-दादी के नाम अगर पिछली एसआईआर में है तो उन्हें पहचान का एक दस्तावेज देना होगा। इनके नाम मैच नहीं होंगे। उन्हें ईआरओ नोटिस जारी कर दस्तावेज जमा करवाने के लिए कहेगा।

डबल नाम पर दंड...

वोटर लिस्ट में डबल नाम वाला अब पकड़ा जाएगा। सारे देश के वोटर लिस्ट का डेटा मशीन रीडिंग फॉर्मेट में उपलब्ध है। पहले दूसरे राज्यों की वोटर लिस्ट उपलब्ध नहीं होने से वेरिफिकेशन और जांच में वक्त लगता था। अब डबल नाम वालों को बाहर किया जाएगा। वोटर लिस्ट में जानबूझकर दो जगह नाम रखने पर एक साल की सजा का प्रावधान है।

घुमंतू परिवारों को भी फॉर्म दिए जाएंगे

एसआईआर में घुमंतू परिवारों को भी फॉर्म दिए जाएंगे। घुमंतू परिवारों तक फॉर्म पहुंचाने के लिए बीएलओ के साथ वॉलेंटियर्स की सहायता ली जाएगी।

एसआईआर के बाद हर बूथ पर होंगे 890 वोटर

एसआईआर के बाद एक बूथ पर औसत 890 वोटर रह जाएंगे। 8819 नए पोलिंग बूथ हो जाएंगे। प्रदेश में इसके बाद 61309 पोलिंग बूथ हो जाएंगे।

70 प्रतिशत वोटर को नहीं देने होंगे अपने दस्तावेज, नाम मैच

बिहार में बने नरेटिवोटर से निर्वाचन आयोग अलर्ट मोड में है। मतदाता लिस्ट के विशेष गहन परीक्षण (एसआईआर) में प्रदेश के 70.55 प्रतिशत से ज्यादा वोटर्स को कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार में पहले फेज में दस्तावेज लेने से जो नरेटिव बना था, उससे हमने सबक लिया। हमने पहले ही वोटर्स की मैपिंग शुरू करवा दी थी। हमारे 70 प्रतिशत से ज्यादा मतदाताओं को जिस दिन से एसआईआर की घोषणा हुई है, उस दिन से ही कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। महाजन ने कहा कि जब बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे, तब तक यह आंकड़ा 80 प्रतिशत पार तक जा सकता है। 27 अक्टूबर तक राजस्थान में 5,48,84,570 वोटर्स हैं। 2002 से 2005 की वोटर लिस्ट के बाद 70.55 प्रतिशत वोटर्स की मैपिंग हो चुकी है। मतलब इनके नाम पिछली एसआईआर से मैच हो चुके। 70.55 प्रतिशत वोटर्स के नाम मैच हो चुके हैं, बाकी के मैच होने बाकी हैं। बीएलओ एप के माध्यम से 40 साल से ज्यादा एज के 79.32 प्रतिशत वोटर्स फीड हो चुके। 40 साल से कम उम्र के 22.22 प्रतिशत वोटर्स की मैपिंग हुई है।

पंजाब केसरी
WED,29 OCTOBER 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 1

'एसआईआर का स्वागत देशहित में उठाया कदम'

विरोध करने वाली पार्टी को सिर्फ अपने वोटबैंक से मतलब : मदन राठौड़

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को सकारात्मक और देश हितकारी पहल बताया।

राठौड़ ने कहा कि एसआरआर कार्य न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा, बल्कि मताधिकार के दुरुपयोग को भी रोकने में सहायक सिद्ध होगा। राठौड़ ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें मृत व्यक्तियों के नाम हटाने और नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शामिल है।

राजस्थान में भी इस प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है, ताकि केवल वैध और योग्य नागरिक ही मताधिकार का उपयोग कर सकें।

रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की शिकायत

राठौड़ ने कहा कि दुर्भाग्यवश बीते वर्षों में कुछ राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थवश ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वा दिए हैं, जो इस देश के नागरिक नहीं हैं। कुछ क्षेत्रों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम भी मतदाता सूची में शामिल होने की शिकायतें मिली हैं। ऐसे लोग भारत को एक धर्मशाला की तरह समझकर यहां केवल लाभ उठाने आते हैं, परंतु राष्ट्रहित या जनसेवा से उनका कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे नामों को मतदाता सूची से हटाना पूरी तरह उचित और आवश्यक कदम है।

'एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी करना चाहती है भाजपा'

पीसीसी चीफ ने कहा– सरकार निकाय चुनाव को टालना चाहती है

जयपुर, 28 अक्टूबर (विशेष संवाददाता) : जिन राज्यों में विधानसभा और पंचायती राज व नगर निकायों के चुनाव ना हों वहीं पर एसआईआर कराने का ऐलान किया गया है। राजस्थान में पिछले एक साल से नगर निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पेंडिंग हैं। 49 नगर निकाय का कार्यकाल 2024 में पूरा हो गया तो 11310 पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। वहां प्रशासक भी लगाए जा चुके हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन का राग यह लोग सिर्फ छोटी सरकार के चुनाव टालने के लिए अलापा जा रहा है। आज तक इसको लेकर कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ ना ही कोई मीटिंग हुई। एसआईआर के माध्यम से भाजपा वोट चोरी कर चुनाव जीतने की रणनीत पर आगे बढ़ रही है।

यह आरोप पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को पार्टी कार्यालय पर प्रेस कांफ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए लगाए। उन्होंने कहा कि नियम है कि दो माह पूर्व परिसीमन कर वोटर लिस्ट का कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं का परिसीमन 4 जून 2025 तक और नगर निकायों का 22 मई 2025 तक परिसीमन किया किया जाने की तारीख सरकार द्वारा तय की गई थी लेकिन आज तक केवल नगर निकायों के वार्डों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त को सरकार ने यह लिखकर नहीं दिया कि राज्य सरकार नगर निकायों एवं पंचायत का चुनाव करवाना चाहती है। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग ने यह कहा है कि जब तक राज्य सरकार की सहमति नहीं हो निर्वाचन आयोग चुनाव नहीं करवा सकता है। परिसीमन भी जानबूझकर नहीं कराया गया ताकि चुनाव टाले जा सकें। अब एसआईआर की घोषणा राजस्थान की भाजपा सरकार ने कहकर करवाई है।

पंजाब केसरी
WED,29 OCTOBER 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 10

एस.आई.आर. : अब शातिर तिकड़म में बदला तुगलकी फरमान

चरण में अब कोई दस्तावेज जमा नहीं करने होंगे। केवल नोटिस मिलने पर ही उन्हें प्रस्तुत करना होगा।

रोचक बात यह है कि बिहार में एस.आई.आर. के मूल आदेश में केवल माता-पिता के दस्तावेज मांगे गए थे लेकिन जब आयोग को अंदेशा हुआ कि इससे लाखों लोग मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं, तब उसने प्रैस रिलीज जारी कर रिश्तेदारों जैसे चाचा, मामा, नाना, ताऊ के दस्तावेज भी स्वीकार करने की छूट दी। अब चुनाव आयोग ने इस अनौपचारिक छूट को औपचारिक बना दिया है।

चुनाव आयोग जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाएगा उनकी सूचियां सार्वजनिक की जाएंगी। इस कदम का सकारात्मक पक्ष यह है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। प्रभावित व्यक्ति, पार्टी या जनसंगठन सूची देखकर विरोध दर्ज करा सकते हैं पर यह

योगेन्द्र यादव

तभी काम करेगा जब मतदाता सूची सुलभ, समय पर और स्पष्ट कारणों के साथ प्रकाशित और आम जनमानस तक उपलब्ध हो सके।

वहीं आयोग ने इस बार बी.एल.ओ. के अलावा राजनीतिक दलों के बी.एल.ए. को भी प्रतिदिन 50 एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की अनुमति दी है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आयोग की तरफ से दी गईं सहूलियतें सुप्रीम कोर्ट के बार-बार दखल दिए जाने से संभव हो पाई हैं।

एस.आई.आर. के राष्ट्रव्यापी संस्करण की घोषणा से एक बार फिर साबित हुआ कि चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण में कोई दिलचस्पी नहीं है। बिहार में आयोग ने एस.आई.आर. की पूरी कवायद के दौरान न तो डुप्लीकेट एंट्री हटाने के लिए अपने 'डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर' का इस्तेमाल किया, न ही फर्जी या संदिग्ध डेटा की कोई स्वतंत्र जांच कराई और न ही अपने ही मैनुअल में निर्धारित भौतिक सत्यापन प्रक्रिया का पालन किया। हैरानी की बात यह कि अब भी चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को दूर करने वाली इन सामान्य प्रक्रियाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है।

वहीं प्रवासी मजदूरों के वोट कटने पर भी चुनाव आयोग को कोई चिंता नहीं है। बस इतनी सहूलियत जरूर दी गई है कि अस्थायी रूप से अनुपस्थित किसी व्यक्ति की जगह परिवार का दूसरा व्यक्ति फॉर्म भरकर जमा कर सकेगा। इसी तरह, बिहार में महिलाओं के अनुपात में असामान्य रूप से अधिक नाम हटाए गए लेकिन चुनाव आयोग ने अब भी इसका कोई संज्ञान नहीं लिया है।

एस.आई.आर. का मूल स्वरूप अभी भी वोटबंदी है। मतदाता सूची में बने रहने की जिम्मेदारी अब भी मतदाता पर ही डाल दी गई है, यानी एन्यूमरेशन फॉर्म भरना अब भी अनिवार्य है। जो भी व्यक्ति तय समय-सीमा के भीतर फॉर्म जमा नहीं करेगा उसका नाम बिना किसी नोटिस, सुनवाई या अपील के हटा दिया जाएगा। नागरिकता-सत्यापन के नाम पर यह प्रक्रिया अब उस दिशा में बढ़ रही है जहां चुनिंदा तरीके से व्यक्तियों या समुदायों के वोट काटे जा सकेंगे।

2002-04 की मनमानी कट ऑफ तिथि अब भी लागू है, जबकि पुराने आदेश से यह साफ हो चुका है कि उस समय नागरिकता की कोई जांच नहीं हुई थी। एस.आई.आर. के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची में कोई बदलाव नहीं किया गया। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसैंस, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड अब भी मान्य नहीं हैं।

चुनाव आयोग अब भी आधार को 12 वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बच रहा है। बहाना यह है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। लेकिन यह नहीं पूछा जा रहा कि यही बात बाकी 11 दस्तावेजों पर लागू क्यों नहीं होती जिनमें से अधिकांश नागरिकता के प्रमाण नहीं हैं। चिंता की बात यह है कि दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया अब भी मनमानी और अपारदर्शी है। इस मायने में एस.आई.आर. का नया संस्करण पहले से भी ज्यादा खतरनाक है चूंकि मुख्यत: नागरिकता साबित करने का तरीका बना दिया गया है।

चिंता की बात यह भी है कि चुनाव आयोग ने प्रैस कांफ्रैंस में इस बुनियादी सवाल का जवाब भी नहीं दिया कि बिहार में चले विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान उसे आखिर कितने 'अवैध विदेशी' मिले, जिस आधार पर इतनी बड़ी कवायद शुरू की गई थी। अब बिना इन सवालों के जवाब दिए यही प्रक्रिया देश के बाकी राज्यों में भी बढ़ा दी जा रही है। यह न केवल गैर-जिम्मेदाराना है बल्कि मनमानी भी है।

इसलिए यह बुनियादी सवाल खड़ा होता है जब 2003 के गहन पुनरीक्षण और 2016 के राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण कार्यक्रम की तरह और भी पारदर्शी, न्यायसंगत और सरल विकल्प मौजूद थे तो आखिर इतनी जटिल और जनविरोधी प्रक्रिया क्यों चुनी गई? हो या न हो दाल में कुछ काला नजर आता है।

yyopinion@gmail.com

पंजाब केसरी
WED,29 OCTOBER 2025
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 9

अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए पीठासीन व मतदान अधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण प्रारंभ

पर्यवेक्षक सुभाश्री नंदा ने किया प्रशिक्षण केंद्र का अवलोकन

ईवीएम-वीवीपैट संचालन व प्रक्रिया की दी जानकारी

बारां, 28 अक्टूबर (दिलीप शाह): अंता विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर मतदान दलों में नियुक्त पीठासीन व प्रथम मतदान अधिकारियों का द्वितीय चरण का प्रशिक्षण मंगलवार को बटावदी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण में करीब 750 अधिकारी शामिल हुए।

प्रशिक्षण में अधिकारियों को ईसीआईनेट एप की कार्यप्रणाली, मॉक पोल, प्रपत्र संधारण, साथ ही ईवीएम व वीवीपैट के संचालन, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों को ईवीएम के प्रयोग का प्रायोगिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों ने दिया मार्गदर्शन : प्रशिक्षण का अवलोकन निर्वाचन पर्यवेक्षक सुभाश्री नंदा ने किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर सीईओ राजवीर सिंह चौधरी, एडीएम शाहबाद जब्बर सिंह, एसीईओ हरीश मीणा, एसई मनोज पूरबगोला उपस्थित रहे। प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर सुनील शर्मा व धर्मेन्द्र मेघवाल के नेतृत्व में हुआ।

प्रशिक्षण में 342 पीठासीन, 342 प्रथम मतदान अधिकारी, तथा होम वोटिंग दलों के 60 अधिकारी भी शामिल हुए।

'गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को निर्धारित समय में त्रुटिरहित पूर्ण करावे'

अलवर। जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने आज उपखण्ड अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक लेकर राजस्व संबंधी प्रकरणों एवं कोर्ट केसेज में लंबित प्रकरणों के निस्तारण तथा चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। जिला कलक्टर ने उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व संबंधी प्रकरणों एवं कोर्ट केसेज में लंबित प्रकरणों का गुणवत्ता के साथ समयबद्ध निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने राजस्व प्रकरणों में सीमाज्ञान, नामांतरण, विभाजन, गिरदावरी इत्यादि की विस्तृत समीक्षा कर इन्हें नियमित तौर पर समयबद्ध निस्तारित कराने के निर्देश दिये तथा फार्मर रजिस्ट्री के रजिस्ट्रेशन एवं लघु सिंचाई गणना में प्रगति बढाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने उपखण्डवार कोर्ट केसेज में 10 वर्ष से अधिक के लंबित प्रकरणों एवं 5 वर्ष से अधिक के प्राथमिक डिक्री के प्रकरणों की वस्तुस्थिति का फीडबैक लेकर 31 दिसम्बर तक 50 प्रतिशत प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिये। उन्होंने विभाजन प्रस्ताव (कुर्रेजात) के प्रकरणों, धारा 251ए के तहत रास्तों के प्रकरणों एवं तीन माह से अधिक के धारा 136 के लंबित प्रकरणों की आगामी दो माह में इन्हें डिस्पोज कराने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने निर्देश दिये कि एनएफएसए पोर्टल 2025 के आवेदनों की स्थिति की समीक्षा कर लंबित आवेदनों को त्वरित निस्तारित करना सुनिश्चित करें। जिला कलक्टर ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है, जिसमें 28 अक्टूबर से 3 नवबंर 2025 तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। 4 नवबंर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संठाहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने ईआरओ को निर्देशित किया कि एसआईआर के कार्य को प्राथमिकता में रखते हुए टीमवर्क के रूप में कार्य कर निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिये कि बीएलओ एप पर मतदाताओं की मैपिंग कार्य पर विशेष फोकस रखकर आगामी 7 दिवस में पूर्ण करावे। उन्होंने निर्देशित किया कि वॉलेंटियर्स एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का गहन प्रशिक्षण कराकर एसआईआर गाइडलाइन की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करें तथा हैल्पडेस्क पर किए जा रहे कार्य की फील्ड विजिट कर प्रभावी मॉनिटरिंग करें। उन्होंने निर्देश दिये कि अधिक से अधिक गणन पत्रों को ऑनलाइन भरवाना सुनिश्चित करें।

Hindustan Times

{ OPPN SLAMS ROLLS REVISION EXERCISE }

'SIR grave threat to Indian democracy'

Agencies

letters@hindustantimes.com

THIRUVANANTHAPURAM/CHENNAI/KOLKATA: Opposition parties have opened a joint front against the nationwide Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls with the Kerala chief minister Pinarayi Vijayan calling it a "grave threat to country's democratic foundation" and Tamil Nadu chief minister MK Stalin organising an all-party meeting to "decide the next course of action".

The ruling Trinamool Congress in West Bengal said the exercise was meant to "disenfranchise genuine voters and tilt the balance head of the 2026 polls".

The Election Commission had announced that the SIR will be carried out between November and February in 12 states and Union Territories --including Kerala, Tamil Nadu, Puducherry, and West Bengal -- all of which are due to hold assembly elections in 2026.

It will be second phase of the controversial exercise, with the first one carried out in Bihar in the run up to the November 6, 11 assembly elections in the eastern state.

SIR had become a major political flashpoint ahead of the Bihar assembly elections. Opposition parties have staged protests in Parliament and alleged that ECI was acting at the behest of the BJP. The government has

continued on →7

Hindustan Times

{ ALREADY MAPPED IN 2002 } POLL EXERCISE

'38.7mn voters don't need papers for SIR'

HT Correspondent
etters@hindustantimes.com

Election Commission officials announce the beginning of the SIR process in Rajasthan at a meeting in Jaipur on Tuesday. HT

JAIPUR: Nearly 38.7 million voters in Rajasthan will not be required to provide any documents during the special intensive revision (SIR) process, chief election officer Naveen Mahajan said on Tuesday.

"Soon after the announcement of SIR in Bihar, the Election Department in Rajasthan had started a mapping process. In the last two months during this process, we have already mapped these 70.55% (38.7 million) of the total 54.8 million electors- most of whom have been enlisted during 2002 SIR," Mahajan said.

According to the internal data shared by the Election Commission, Rajasthan currently has 54.8 million electors- of whom over 38.7 million have already been physically mapped by the state election department.Around 27 million of these physically mapped voters had later also been finally confirmed through ECINET which contributes to 49.37%, as data showed.

At least 20.7 million of the ones whose mapping has been finalised through ECINET after physical verification are above 40 years of age. These voters were listed during the 2002 SIR and are still alive, the Election Department identified.

Similarly, the rest 6.3 million population whose mapping was confirmed by the ECINET are below 40 years of age who became voters after the 2002 SIR. However, they have been mapped as their parents were found in the 2002 list, as per the EC's data.

The department is yet to confirm the 11.7million voters whose mapping had already been done physically but the final process for the ECINET is pending.

"We are expecting that the final confirmation of the mapping of these 11.7 million will also be done before the formal house to house enumeration survey which is going to start from November 4. Hence, none of them have to provide any documents during the SIR" said Mahajan.

He further added that Rajasthan, in such mapping process, is now way ahead of many states where SIR will be done in phase 2- such as Gujarat where only 5.73% mapping has so far been done. "The first draft roll of the SIR will be published on December 9 and the final list will be published on February 7, 2026," he said.

Hindustan Times

Dotasra accuses govt of using SIR to delay local body elections

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

JAIPUR: Controversy broke out in the state following the announcement of the Special Intensive Revision (SIR) process, with state Congress president Govind Singh Dotasra accusing the BJP government of deliberately trying to postpone panchayat and municipal elections.

Dotasra alleged that the state government misled the Election Commission of India by writing a letter stating that there were no pending local body elections in Rajasthan, and therefore, SIR could be implemented.

He said that the Election Commission had asked all states whether their panchayat and municipal elections were pending, and Rajasthan denied it, despite the fact that the tenure of elected representatives in 11,390 gram panchayats, 22 district councils, and 305 municipal bodies has already ended.

Dotasra said administrators have been appointed in all these bodies after their terms expired. He pointed out that the Urban Development and Housing Minister himself had stated several times that the government was ready to conduct local body elections and would announce them this year.

"If assembly elections are still three years away, what was the hurry to conduct SIR now? The intention is clear – the government wants to delay local body elections under the pretext of SIR," he said.

He described the move as a well-planned conspiracy to manipulate the voter list before elections.

Dotasra alleged that the SIR process was being used to delete the names of Congress-linked voters, especially those belonging to minority, Scheduled Caste, and backward communities, to avoid defeat in upcoming polls.

He said that after using excuses such as One Nation One Election, delimitation, and the OBC Commission's report, the government was now hiding behind SIR to delay the elections.

Calling the decision an attack on democratic rights, Dotasra said the SIR process, carried out in the name of voter list revision, is a ploy to remove the votes of the poor and marginalized.

The voter lists will remain frozen until February 7 next year when the final publication will take place, meaning elections will be pushed to May or June, after the state budget session.

Dotasra accused the BJP of trying to suppress citizens' right to vote through misuse of the "double-engine" government and the Election Commission.

Over 70 per cent Rajasthan voters exempted from submitting documents in SIR, says CEO

PRESS TRUST OF INDIA
JAIPUR, OCTOBER 28

NEARLY 70.55 per cent of voters in Rajasthan will not be required to submit any documents during the ongoing Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls, Chief Electoral Officer (CEO) Naveen Mahajan said on Tuesday.

Speaking to mediapersons, Mahajan said the Election Department has already completed extensive voter mapping ahead of the SIR, learning from the experience of the first phase of the exercise in Bihar, where confusion had arisen over document submission.

"As of the day the SIR was announced, more than 70 per cent of voters in Rajasthan will not need to provide any documents. When Booth Level Officers (BLOs) begin visiting homes to collect forms, this figure could cross 80 per cent," Mahajan said.

According to official data, the state currently has 5.48 crore registered voters. Of these, 70.55 per cent have already been matched with the previous SIR voter lists prepared between 2002 and 2005.

"Around 79.32 per cent of voters aged above 40 have been verified through the BLO app, while 22.22 per cent of voters below 40 have been mapped," he added.

Rajasthan currently leads all SIR-implementing states in voter mapping, with 49.37 per cent completed on the Election Commission of India (ECI) network. In comparison, Gujarat has achieved 5.73 per cent, Uttar Pradesh 13.41 per cent, Madhya Pradesh 20.09 per cent, Tamil Nadu 21.62 per cent, and Chhattisgarh 24.27 per cent mapping, Mahajan said.

Explaining the verification process, he said BLOs will visit every household three times to distribute and collect enumeration forms.

"If a family is temporarily away, BLOs will make up to three attempts within a month. In case the family is still unavailable, the form will be left at the residence along with a notice pasted on the door," he added.

The chief electoral officer said Rajasthan now has access to digitised voter lists from previous SIR exercises, enabling easier cross-verification across state borders. "This will help identify duplicate or migrated voters more effectively," he said.

The draft voter list will be published on December 9, and the names of deceased, duplicate, or permanently relocated voters will be deleted and displayed publicly on the official website.

After the SIR process, the average number of voters per polling booth is expected to come down to 890, with 8,819 new polling stations being added, bringing the total to 61,309 across the state, Mahajan said.

FIRST INDIA

29 October 2025

Around 70% of voters won't need to submit docs: Mahajan

Chief Electoral Officer Naveen also says the State has taken lessons from Bihar's SIR exercise

Dr Rituraj Sharma
Jaipur

State CEO Naveen Mahajan addresses the media in Jaipur, Tuesday.

Around 70% of voters in Rajasthan will not be required to submit documents during the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls, Chief Electoral Officer (CEO) Naveen Mahajan said on Tuesday. He said Rajasthan has taken lessons from Bihar's SIR exercise and used the intervening time to complete detailed voter mapping.

"Because of this extensive mapping, about 70% of voters in the state will not need to provide any documents," Mahajan said, adding that Rajasthan is now ahead of Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Tamil Nadu and Chhattisgarh in the process. Following the Election Commission of India's announcement of the SIR programme in 12 states, work on the exercise began in Rajasthan on Sunday.

As per data, the state has 52,490 polling booths, which will increase to 61,309 after restructuring based on the number of voters per booth. As many as 8,819 new booths have been created.

BJP using SIR to delay local body polls: Cong

Dinesh Dangi
Jaipur

Congress has expressed strong opposition to the implementation of the Special Intensive Revision (SIR) process in Rajasthan, alleging that the move is a deliberate attempt by the BJP to delay local body and panchayat elections in the state.

Rajasthan Pradesh Congress Committee (PCC) president **Govind Singh Dotasra** said that the BJP had pushed for the introduction of the SIR process with the intent to postpone elections. He claimed that the state government had already sent a written proposal to implement the process, arguing that the BJP would now use it as a pretext to delay the polls.

Dotasra stated that internal reports had indicated a weak performance for the BJP in both local body and panchayat elections, prompting the ruling party to avoid conducting them on time.

शासन-प्रशासन
दैनिक भास्कर, बीकानेर, बुधवार 29 अक्टूबर, 2025

बिहार विवाद से सबक, एसआईआर में प्रदेश के 29 प्रतिशत मतदाताओं को दिखाने होंगे दस्तावेज

आधार अनिवार्य नहीं, SIR पूरा होने तक तबादलों पर रोक

भास्कर न्यूज | जयपुर

वोटर लिस्ट के विशेष गहन परीक्षण (एसआईआर) में प्रदेश में करीब 29 प्रतिशत मतदाताओं को दस्तावेज दिखाने ही होंगे। प्रदेश के 70.55 प्रतिशत वोटर्स को कोई दस्तावेज नहीं देना होगा । इसकी पुष्टि मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने करते हुए कहा कि बिहार में पहले फेज में दस्तावेज लेने से जो नेरेटिव बना था, उससे हमने सबक लिया। हमने पहले ही वोटर्स की मैपिंग शुरू करवा दी थी। हमारे 70 प्रतिशत से ज्यादा मतदाताओं को जिस दिन से एसआईआर की घोषणा हुई है, उस दिन से ही कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। सारे देश के वोटर लिस्ट का डेटा मशीन रीडिंग फॉर्मेट में उपलब्ध है। पहले दूसरे राज्यों की वोटर लिस्ट उपलब्ध नहीं होने से वेरिफिकेशन और जांच में वक्त लगता था। अब डबल नाम वालों को बाहर किया जाएगा। वोटर लिस्ट में जानबूझकर दो जगह नाम रखने पर एक साल की सजा का प्रावधान है। राजस्थान में एसआईआर के बाद हर बूथ पर 890 वोटर रह जाएंगे। उधर एसआईआर के बाद एक बूथ पर औसत 890 वोटर रह जाएंगे। 8819 नए पोलिंग बूथ हो जाएंगे। प्रदेश में इसके बाद 61309 पोलिंग बूथ हो जाएंगे।

महाजन ने कहा कि जब बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे, तब तक यह आंकड़ा 80 प्रतिशत पार तक जा सकता है। 27 अक्टूबर तक राजस्थान में 5 करोड़ 48 लाख 84,570 वोटर्स हैं। 2002 से 2005 की वोटर लिस्ट के बाद 70.55 प्रतिशत वोटर्स की मैपिंग हो चुकी है। मतलब इनके नाम पिछली एसआईआर से मैच हो चुके हैं। 70.55 प्रतिशत वोटर्स के नाम मैच हो चुके हैं, बाकी के मैच होने बाकी हैं। बीएलओ एप के माध्यम से 40 साल से ज्यादा एज के 79.32 प्रतिशत वोटर्स फीड हो चुके। 40 साल से कम उम्र के 22.22 प्रतिशत वोटर्स की मैपिंग हुई है।

राजस्थान वोटर मैपिंग में सबसे आगे, गुजरात, यूपी, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ पिछड़े : राजस्थान वोटर मैपिंग में 12 राज्यों की तुलना में सबसे अागे है। राज्यों में मैपिंग में राजस्थान सबसे आगे है। राजस्थान मेंस इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) नेट पर कुल मैपिंग 49.37 प्रतिशत हो चुकी है। गुजरात में 5.73 प्रतिशत, यूपी में 13.41 प्रतिशत, एमपी में 20.09 प्रतिशत, तमिलनाडु में 21.62 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 24.27 प्रतिशत वोटर्स की ही मैपिंग हुई है।

एक घर पर तीन बार जाएंगे बीएलओ, इसके बाद नहीं मिलने नोटिस चस्पा होगा: बीएलओ घर-घर जाकर गणना फॉर्म (ईएफ) भरेगा। हर वोटर को यह फॉर्म दिया जाएगा। कोई परिवार मान लीजिए बाहर गया हुआ है तो सामान्यतया वह एक महीने में वापस लौट आता है। बीएलओ हर घर पर जाकर तीन बार फॉर्म भरवाने का प्रयास करेगा। फिर भी कोई घर पर नहीं मिलते हैं तो बीएलओ फॉर्म घर पर डालकर नोटिस चस्पा करेगा। एक महीने में तीन बार बीएलओ जाएंगे।

पड़ोसी राज्यों सहित किसी भी प्रदेश से वोटर का मिलान हो सकेगा

महाजन ने बताया कि कई प्रदेशों की सीमाएं राजस्थान से लगती हैं। पहले दूसरे राज्यों के वोटर्स की मैपिंग यानी उन्हें खोजना मुश्किल था, क्योंकि वोटर लिस्ट नहीं थी। अब वोटर लिस्ट उपलब्ध होने से देश के किसी भी राज्य के वोटर को मैच कर सकेंगे। पुरानी एसआईआर की वोटर लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध है। डेटाबेस से मिलान आसान हो जाएगा। ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को प्रकाशित होगी। ड्राफ्ट लिस्ट में मृत वोटर्स, डुप्लीकेट नाम वाले वोटर्स, स्थायी रूप से बाहर बस चुके वोटर्स और दो जगह वोटर लिस्ट में नाम वालों के नाम हटाए जाएंगे। हटाने वाले नाम वेबसाइट पर सार्वजनिक किए जाएंगे। जिनके नाम पिछली एसआईआर की वोटर लिस्ट में हैं, उन्हें कोई दस्तावेज नहीं देना है। माता-पिता या दादा-दादी के नाम अगर पिछली एसआईआर में हैं तो उन्हें पहचान का एक दस्तावेज देना होगा। इनके नाम मैच नहीं होंगे। उन्हें ईआरओ नोटिस जारी कर दस्तावेज जमा करवाने के लिए कहेगा।

दैनिक भास्कर

बारां 29-10-2025

पर्यवेक्षक नंदा ने किया प्रशिक्षण का अवलोकन

भास्कर न्यूज | बारां

अंता विधानसभा क्षेत्र के तहत मतदान दलों में नियुक्त पीठासीन व प्रथम मतदान अधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण मंगलवार को प्रारंभ हुआ।

जिसमें करीब साढ़े सात सौ अधिकारियों ने मतदान की प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्राप्त किया। बटावदी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आयोजित प्रशिक्षण में पर्यवेक्षक सुभाश्री नंदा ने प्रशिक्षण का अवलोकन करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। प्रशिक्षण में मतदान दल के अधिकारियों को ईसीआईनेट एप की कार्यप्रणाली, मोक पोल, प्रपत्र संधारण सहित ईवीएम व वीवीपेट की कार्यप्रणाली सहित उनके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के बारे में समझाया गया। साथ ही ईवीएम के उपयोग का प्रायोगिक प्रशिक्षण भी दिया। इस दौरान प्रशिक्षण प्रभारी व सीईओ राजवीर सिंह चौधरी, एडीएम शाहबाद जब्बर सिंह, एसीईओ हरीश मीणा, एसई मनोज पूरबगोला भी मौजूद रहे। मास्टर ट्रेनर सुनील शर्मा, धर्मेंद्र मेघवाल के नेतृत्व में दक्ष प्रशिक्षकों ने पीठासीन व मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण में करीब 342 पीठासीन व 342 प्रथम मतदान अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान होम वोटिंग के लिए गठित मतदान दलों में नियुक्त होने वाले 60 मतदान अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया।

दैनिक भास्कर

बारां 29-10-2025

चेतावनी • समस्याओं का समाधान नहीं होने पर ग्रामीण उपचुनाव का करेंगे बहिष्कार

मतदान बहिष्कार की चेतावनी पर गणेशपुरा गांव में पहुंचे अधिकारियों की समझाइश के बाद भी नहीं माने ग्रामीण

भास्कर न्यूज | बड़गांव

समीपवर्ती गणेशपुरा गांव के ग्रामीणों ने समस्याओं का समाधान नहीं होने पर उपचुनाव में मतदान के बहिष्कार की चेतावनी दी है।

मंगलवार को मामला सामने आने पर प्रशासन हरकत में आया और ग्रामीणों से समझाइश के लिए प्रशासनिक अधिकारी गणेशपुरा पहुंचे, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। उनका कहना है कि गांव में अब तक पक्का मुक्तिधाम नहीं है। यहां तक कि कच्चे मुक्तिधाम तक जाने के लिए पैदल रास्ता भी नहीं है। स्कूल की तरफ जाने वाले रास्ते में नाला क्षतिग्रस्त है। इसके कारण ग्रामीणों व बच्चों को परेशानी होती है। ग्रामीणों

की नाराजगी दूर करने तहसीलदार व बीडीओ ने वैकल्पिक व्यवस्था की बात कही। साथ ही क्षतिग्रस्त नाले में पाइप डालकर नाले को दुरुस्त करने का भी आश्वासन दिया, लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि इस नाले का कच्चा काम नहीं पक्का काम करवाया जाए। पक्का नाला तैयार होगा, तभी मतदान के लिए तैयार होंगे। गांव के रामावतार गुर्जर ने कहा कि कलेक्टर आकर समस्या के समाधान की बात कहें तो मतदान के लिए तैयार हो सकते हैं।

इस पर तहसीलदार राधेश्याम भील ने बताया कि अभी बारिश का मौसम है, नाले में पानी बह रहा है। बारिश रुकते ही नाले में पाइप डलवाकर उस पर गिट्टी सीमेंट लगा दिया जाएगा। तब तक यहां से निकलने का समाधान तो किया जा सकता है। साथ ही सावल मशीन से रास्ते को भी चौड़ा करवाकर अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। बारिश खत्म होते ही पाइपों को निकलवाकर कर पक्की मोखे वाली पुलिया बना दी जाएगी।

दैनिक भास्कर

बारां 29-10-2025

चेतावनी • समस्याओं का समाधान नहीं होने पर ग्रामीण उपचुनाव का करेंगे बहिष्कार

मतदान बहिष्कार की चेतावनी पर गणेशपुरा गांव में पहुंचे अधिकारियों की समझाइश के बाद भी नहीं माने ग्रामीण

भास्कर न्यूज | बड़गांव

समीपवर्ती गणेशपुरा गांव के ग्रामीणों ने समस्याओं का समाधान नहीं होने पर उपचुनाव में मतदान के बहिष्कार की चेतावनी दी है।

मंगलवार को मामला सामने आने पर प्रशासन हरकत में आया और ग्रामीणों से समझाइश के लिए प्रशासनिक अधिकारी गणेशपुरा पहुंचे, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। उनका कहना है कि गांव में अब तक पक्का मुक्तिधाम नहीं है। यहां तक कि कच्चे मुक्तिधाम तक जाने के लिए पैदल रास्ता भी नहीं है। स्कूल की तरफ जाने वाले रास्ते में नाला क्षतिग्रस्त है। इसके कारण ग्रामीणों व बच्चों को परेशानी होती है। ग्रामीणों

की नाराजगी दूर करने तहसीलदार व बीडीओ ने वैकल्पिक व्यवस्था की बात कही। साथ ही क्षतिग्रस्त नाले में पाइप डालकर नाले को दुरुस्त करने का भी आश्वासन दिया, लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि इस नाले का कच्चा काम नहीं पक्का काम करवाया जाए। पक्का नाला तैयार होगा, तभी मतदान के लिए तैयार होंगे। गांव के रामावतार गुर्जर ने कहा कि कलेक्टर आकर समस्या के समाधान की बात कहें तो मतदान के लिए तैयार हो सकते हैं।

इस पर तहसीलदार राधेश्याम भील ने बताया कि अभी बारिश का मौसम है, नाले में पानी बह रहा है। बारिश रुकते ही नाले में पाइप डलवाकर उस पर गिट्टी सीमेंट लगा दिया जाएगा। तब तक यहां से निकलने का समाधान तो किया जा सकता है। साथ ही सावल मशीन से रास्ते को भी चौड़ा करवाकर अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। बारिश खत्म होते ही पाइपों को निकलवाकर कर पक्की मोखे वाली पुलिया बना दी जाएगी।

दैनिक भास्कर

बारां 29-10-2025

पुलिस पर्यवेक्षक ने किया केंद्रों का निरीक्षण

बारां| भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अंता विधानसभा उपचुनाव की निगरानी के लिए नियुक्त पुलिस पर्यवेक्षक गगनदीप गंभीर ने मंगलवार को मांगरोल, बंबोरीकला व मऊ स्थित संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। साथ ही अंतरराज्यीय मार्ग पर स्थापित बॉर्डर नाका, चैक पोस्ट पालेश्वर महादेव पार्वती नदी की पुलिया व किशनगंज के काला पट्टा का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मांगरोल थानाधिकारी विनोद, किशनगंज थानाधिकारी रमेशचंद मेरोठा व लाइजनिंग अधिकारी साथ रहे।

दैनिक भास्कर
बारां 29-10-2025

अभियान • अंता विधानसभा उपचुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ोतरी के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत किए जा रहे नवाचार

आकर्षक पोस्टर में उकेरा जागरूकता का संदेश

भास्कर न्यूज | बारां

जिले में अंता विधानसभा उपचुनाव के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर एवं सीईओ व नोडल अधिकारी स्वीप राजवीर सिंह चौधरी के निर्देशन में अंता विधानसभा उपचुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ोतरी के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत जिले के समस्त शैक्षिक संस्थानों में पोस्टर मेकिंग व नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ।

वहीं अंता के राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद वर्मा ने मतदान के संकल्प के साथ विद्यार्थियों से स्वयं मतदान करने एवं अपने परिवार एवं परिचित जन से प्रचार प्रसार करने की बात कहीं। इस दौरान स्वीप सहप्रभारी अमित भार्गव ने विद्यार्थियों एवं उपस्थित जन को लोकतंत्र के पर्व में मतदान द्वारा अपना योगदान सुनिश्चित करने की बात कहीं। साथ ही नव मतदाताओं को अपना नाम घर बैठे वोटर हेल्पलाइन एप या निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल के तहत मतदाता सूची में पंजीयन करने, एवं सीविजील एप द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत पर 100 मिनट के अंदर समाधान प्राप्त करने के बारे में बताया एवं केवाईसी एप द्वारा अपने क्षेत्र से चुनाव उम्मीदवारों की जानकारी प्राप्त करने के बारे में समझाया। इस दौरान विद्यार्थियों से संकल्प पत्र भरवाए गए।

पोस्टर के साथ मानव श्रृंखला बनाकर दिया संदेश

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने आकर्षक पोस्टर में निर्वाचन के ऑनलाइन एप्लीकेशन वोटर हेल्पलाइन, सीविजील व सक्षम एप तथा मतदान केंद्र को दर्शाते हुए तथा 11 नवंबर नोट करें निर्भय होकर वोट करें, जैसे जागरूकता संबंधी नारों के साथ आमजन को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में सीबीईओ बृजमोहन वर्मा, ममता चौधरी, ईएलसी प्रभारी डॉ तनु राजपाल, तरुण डागल, चेतन शर्मा, रामचरण मीणा, स्वीप सदस्य, स्टाफ सदस्य तथा ईएलसी सदस्य मौजूद रहे।

दैनिक भास्कर

बारां 29-10-2025

महिलाएं और दिव्यांग भी संभालेंगे मतदान का मोर्चा

बारां| अंता विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव के तहत 11 नवंबर को होने वाले मतदान में महिलाएं और दिव्यांग भी मतदान केंद्रों की बागडोर संभालते हुए मतदान कराएंगे। इसके लिए मतदान केंद्रों का चिन्हीकरण कर लिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि उपचुनाव में आठ महिला मतदान केंद्र, एक दिव्यांग मतदान केंद्र, आठ युवा मतदान केंद्र और एक आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। महिला मतदान केंद्र राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दुर्जनपुरा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इकलेरा कमरा नंबर 2, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बामला बायां भाग, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बड़ां बायां भाग, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिसाया कमरा नंबर 2, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दौलतपुरा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय राजपुरा व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मंडोली में बनाए जाएंगे।दिव्यांग मतदान केंद्र राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोलकी, युवा मतदान केंद्र बृजमोहन विजय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मांगरोल नया भवन बायां भाग, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांगरोल कमरा नंबर 5, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांगरोल कमरा नंबर 7, धूलीबाई चोपड़ा राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मांगरोल कमरा नंबर 2, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बमोरी अंता कमरा नं. 1, राजकीय संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय नीलकंठ कालोनी अंता कमरा नं 1, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंता दाया भाग व महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सब्जी मंडी अंता भाग संख्या 2 आदर्श मतदान केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र अंता के किसान घर में स्थापित किए जाएंगे।

पत्रिका

पोस्टर पर उकेरा वोट जागरूकता का संदेश

बारां @ पत्रिका. नोडल अधिकारी स्वीप राजवीर सिंह चौधरी के निर्देशन में अंता विधानसभा उपचुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ोतरी के लिए स्वीप कार्यक्रम अन्तर्गत जिले के समस्त शैक्षिक संस्थानों में पोस्टर मेकिंग व नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। स्वीप सहप्रभारी अमित भार्गव ने विद्यार्थियों एवं उपस्थित जन को लोकतंत्र के पर्व में मतदान द्वारा अपना योगदान सुनिश्चित करने की बात कहीं। साथ ही नव मतदाताओं को अपना नाम घर बैठे वोटर हेल्पलाइन एप या निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल के तहत मतदाता सूची में पंजीयन करने, एवं सीविजिल ऐप द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत पर 100 मिनट के अंदर समाधान प्राप्त करने के बारे में बताया एवं केवाईसी ऐप द्वारा अपने क्षेत्र से चुनाव उम्मीदवारों की जानकारी प्राप्त करने के बारे में समझाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों से संकल्प पत्र भरवाए गए।

29/10/2025 | Baran | Page : 2
Source :
https://epaper.patrika.com/

पत्रिका

पीठासीन व मतदान अधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण प्रारंभ

बारां @ पत्रिका. अंता विधानसभा क्षेत्र के तहत मतदान दलों में नियुक्त पीठासीन व प्रथम मतदान अधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण मंगलवार को प्रारंभ हुआ। इसमें करीब साढ़े सात सौ अधिकारियों ने मतदान की प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

29/10/2025 | Baran | Page : 2
Source : https://epaper.patrika.com/

पत्रिका

मतदान केंद्रों और मप्र सीमा के नाकों पर देखी सुरक्षा व्यवस्था

बारां @ पत्रिका. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अंता विधानसभा उपचुनाव की निगरानी के लिए नियुक्त पुलिस पर्यवेक्षक गगनदीप गंभीर ने मंगलवार को मांगरोल, बम्बोरीकला व मऊ स्थित संवेदनशील मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया। साथ ही अंतर्राज्यीय मार्ग पर स्थापित बॉर्डर नाका, चैक पोस्ट पालेश्वर महादेव पार्वती नदी की पुलिया व किशनगंज के कलापट्टा का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था के सम्बंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मांगरोल थानाधिकारी विनोद, किशनगंज थानाधिकारी रमेशचंद मेरोटा व लाइजनिंग अधिकारी साथ रहे।

29/10/2025 | Baran | Page : 2
Source :
https://epaper.patrika.com/

पत्रिका

महिलाएं-दिव्यांग भी संभालेंगे मतदान का मोर्चा

8 महिला और युवा केन्द्र, एक-एक दिव्यांग और आदर्श मतदान केन्द्र बनेंगे

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बारां. अंता विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव के अन्तर्गत 11 नवंबर को होने वाले मतदान में महिलाएं और दिव्यांग भी मतदान केन्द्रों की बागडोर संभालते हुए मतदान कराएंगे। इसके लिए मतदान केन्द्रों का चिह्नीकरण कर लिया गया है। इसके तहत आठ-महिला और युवा केन्द्र, एक-एक दिव्यांग और आदर्श केन्द्र बनाए जाएंगे।

यहां पर होंगे केन्द्र

जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि उपचुनाव में आठ महिला मतदान केन्द्र, एक दिव्यांग मतदान केन्द्र, आठ युवा मतदान केन्द्र तथा एक आदर्श मतदान केन्द्र बनाए जाएंगे। महिला मतदान केन्द्र राउप्रावि दुर्जनपुरा, राउमावि इकलेरा कमरा नं. 2, महात्मा गांधी रावि बामला बायां भाग, महात्मा गांधी रावि बड़ां बायां भाग, राउमावि तिसाया कमरा नंबर 2, राउप्रावि दौलतपुरा, राप्रावि राजपुरा व राउप्रावि मंडोली में बनाए जाएंगे। दिव्यांग मतदान केन्द्र राउप्रावि मोलकी, युवा मतदान केन्द्र बृजमोहन विजय राबाउमावि मांगरोल नया भवन बायां भाग, राउमावि मांगरोल कमरा नंबर 5, राउमावि मांगरोल कमरा नंबर 7, धुली बाई चोपड़ा राबाउप्रावि मांगरोल कमरा नंबर 2, महात्मा गांधी रावि बमोरी अन्ता कमरा नं. 1, राजकीय संस्कृत उमावि नीलकण्ठ कॉलोनी अन्ता कमरा नं 1, राउमावि अंता दाया भाग व महात्मा गांधी रावि सब्जी मण्डी अन्ता भाग संख्या 2, आदर्श मतदान केन्द्र कृषि विज्ञान केंद्र अंता के किसान घर में स्थापित किए जाएंगे।

प्रदेश में आमजन असुरक्षित : चांदना

बारां. अन्ता विधानसभा के उपचुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस की ओर से नियुक्त चुनाव प्रभारी अशोक चांदना और सह प्रभारी सीएल प्रेमी व चेतन पटेल मंगलवार को बारां पहुंचे। चांदना ने मीडियाकर्मियों से बात करते आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार के दो साल के शासन में आमजन अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहा है। अपराधों का ग्राफ लगातार बढता जा रहा है। भाजपा ने प्रदेश को कुशासन दिया है। सरकार दो साल से किसानों को ठग रही है। झालावाड़ जिले में एक स्कूल का भवन के गिरने से 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। उसके बावजूद सरकार ने बच्चों के परिजनों को उचित आर्थिक संबल नहीं दिया। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शासन के दौरान अन्ता विधानसभा क्षेत्र सहित जिले में करवाए विकास कार्य गिनाए।

पत्रिका

विरोध

विकास से वंचित गणेशपुरा गांव के लोगों ने किया है मतदान का बहिष्कार

समझाइश बेअसर, अब कलक्टर को बुलाने की मांग पर अड़े

पत्रिका जनता की आवाज

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बड़गांव. गणेशपुरा गांव के लोगों ने इस बार विधानसभा अंता में हो रहे उपचुनाव में मतदान के बहिष्कार का फैसला लिया है। राजस्थान पत्रिका में इस समाचार का प्रकाशन होने के बाद मंगलवार को प्रशासन ग्रामीणों को समझाने के लिए गणेशपुरा पहुंचा। लाख समझाइश के बाद भी ग्रामीण अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने मौके पर कलक्टर को बुलाने की बात की है।

इस बीच उन्होंने वहां पहुंचे अधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत कराया। इस दौरान पता चला कि गांव की मुख्य समस्या यहां मुक्तिधाम नहीं होना है। जहां पर वर्तमान में मुक्तिधाम है, वहां तक जाने के लिए पैदल रास्ता भी नहीं है। साथ ही स्कूल की तरफ जाने वाले रास्ते में नाला भी क्षतिग्रस्त है। इसके कारण ग्रामीणों में नाराजगी है। लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए तहसीलदार व अंता विकास अधिकारी गणेशपुरा गांव पहुंचे। वहां जाकर अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों ने वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की बात कही। क्षतिग्रस्त नाले में पाइप डालकर नाले को दुरुस्त करने की बात कही। लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि हम इस नाले का कच्चा काम नहीं पक्का काम करवाना चाहते हैं। लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि हमें अभी पक्का नाला बनाकर दें तभी हम मतदान के लिए तैयार होंगे।

> अभी बरसात से नाले में पानी बह रहा है। बारिश रुकते ही नाले में पाइप डालकर गिट्टी सीमेंट लगा दिया जाएगा। अभी निकलने का समाधान तो किया जा सकता है। इससे ग्रामीणों के ट्रैक्टर खेती के लिए जा सकते हैं। रास्ते को भी चौड़ा करवाकर अतिक्रमण दिया जाएगा। बारिश खत्म होते ही पाइपों को निकलवाकर कर पक्की मोखे वाली पुलिया बना दी जाएगी।
>
> **राधेश्याम भील,** विकास अधिकारी, अंता

बड़गांव. मतदान के बहिष्कार की सूचना के बाद गणेशपुरा में ग्रामीणों से समझाइश करते प्रशासनिक अधिकारी। पत्रिका

> अगर जिला कलक्टर आकर हमें हमारी समस्या के समाधान की बात कहें तो हम मतदान के लिए तैयार हो सकते हैं।
>
> **रामावतार गुर्जर,** ग्रामीण गणेशपुरा

29/10/2025 | Baran | Page : 1
Source : https://epaper.patrika.com/

आकर्षक पोस्टर में उकेरा जागरूकता का संदेश

बारां, 28 अक्टूबर (हाड़ौती संचार)।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) रोहिताश्व सिंह तोमर एवं सीइओ व नोडल अधिकारी स्वीप राजवीर सिंह चौधरी के निर्देशन में अंता विधानसभा उपचुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ोतरी के लिए स्वीप कार्यक्रम अन्तर्गत जिले के समस्त शैक्षिक संस्थानों में पोस्टर मेकिंग व नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। वहीं अंता के राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद वर्मा ने मतदान के संकल्प के साथ विद्यार्थियों से स्वयं मतदान करने एवं अपने परिवार एवं परिचित जन से प्रचार प्रसार करने की बात कहीं। इस दौरान स्वीप सहप्रभारी अमित भार्गव ने विद्यार्थियों एवं उपस्थित जन को लोकतंत्र के पर्व में मतदान द्वारा अपना योगदान सुनिश्चित करने की बात कहीं।

पोस्टर के साथ मानव श्रृंखला बनाकर दिया जागरूकता का संदेश

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने आकर्षक पोस्टर में निर्वाचन के ऑनलाइन एप्लीकेशन वोटर हेल्पलाइन, सीविजील व सक्षम ऐप तथा मतदान केंद्र को दर्शाते हुए तथा 11 नवंबर नोट करें निर्भय होकर वोट करें, जैसे जागरूकता संबंधी नारों के साथ आमजन को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में सीबीईओ बृजमोहन वर्मा, ममता चौधरी, ईएलसी प्रभारी डॉ तनु राजपाल, तरुण डागल, चेतन शर्मा, रामचरण मीणा, स्वीप सदस्य, स्टाफ सदस्य तथा ईएलसी सदस्य मौजूद रहे।

पुलिस पर्यवेक्षक ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण

बारां, (हाड़ौती संचार)।

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अंता विधानसभा उपचुनाव की निगरानी के लिए नियुक्त पुलिस पर्यवेक्षक गगनदीप गंभीर ने मंगलवार को मांगरोल, बम्बोरीकलां व मऊ स्थित संवेदनशील मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया।

साथ ही अंतर्राज्यीय मार्ग पर स्थापित बॉर्डर नाका, चैक पोस्ट पालेश्वर महादेव पार्वती नदी की पुलिया व किशनगंज के कलापट्टा का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था के सम्बंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मांगरोल थानाधिकारी विनोद, किशनगंज थानाधिकारी रमेशचंद मेरोटा व लाइजनिंग अधिकारी साथ रहे।

पीठासीन व मतदान अधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण प्रारंभ

पर्यवेक्षक सुभाश्री नंदा ने किया प्रशिक्षण का अवलोकन

बारां, 28 अक्टूबर (हाड़ौती संचार)।

अंता विधानसभा क्षेत्र के तहत मतदान दलों में नियुक्त पीठासीन व प्रथम मतदान अधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण मंगलवार को प्रारंभ हुआ। जिसमें करीब साढ़े सात सौ अधिकारियों ने मतदान की प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्राप्त किया। बटावदी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आयोजित प्रशिक्षण में पर्यवेक्षक सुभाश्री नंदा ने प्रशिक्षण का अवलोकन करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। प्रशिक्षण में मतदान दल के अधिकारियों को ईसीआईनेट एप की कार्यप्रणाली, मोक पोल, प्रपत्र संधारण सहित ईवीएम व वीवीपेट की कार्यप्रणाली सहित उनके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के बारे में समझाया गया। साथ ही ईवीएम के उपयोग का प्रायोगिक प्रशिक्षण भी दिया गया। इस दौरान प्रशिक्षण प्रभारी व सीईओ राजवीर सिंह चौधरी, एडीएम शाहबाद जब्बर सिंह, एसीईओ हरीश मीणा, एसई मनोज पूरबगोला भी मौजूद

रहे। मास्टर ट्रेनर सुनील शर्मा, धर्मेन्द्र मेघवाल के नेतृत्व में दक्ष प्रशिक्षकों ने पीठासीन व मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण में करीब 342 पीठासीन व 342 प्रथम मतदान अधिकारियों ने भाग लिया।

इस दौरान होम वोटिंग के लिए गठित मतदान दलों में नियुक्त होने वाले 60 मतदान अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया गया।

आकर्षक पोस्टर में उकेरा जागरुकता का संदेश

पैंतरा न्यूज।

बारां, 28 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) रोहिताश्व सिंह तोमर एवं सीइओ व नोडल अधिकारी स्वीप राजवीर सिंह चौधरी के निर्देशन में अंता विधानसभा उपचुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ोतरी के लिए स्वीप कार्यक्रम अन्तर्गत जिले के समस्त शैक्षिक संस्थानों में पोस्टर मेकिंग व नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। वहीं अंता के राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद वर्मा ने मतदान के संकल्प के साथ विद्यार्थियों से स्वयं मतदान करने एवं अपने परिवार एवं परिचित जन से प्रचार प्रसार करने की बात कहीं।

इस दौरान स्वीप सहप्रभारी अमित भार्गव ने विद्यार्थियों एवं उपस्थित जन को लोकतंत्र के पर्व में मतदान द्वारा अपना योगदान सुनिश्चित करने की बात कहीं। साथ ही नव मतदाताओं को अपना नाम घर बैठे वोटर हेल्पलाइन एप या निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल के तहत मतदाता सूची में पंजीयन करने, एवं सीबीजील ऐप द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत पर 100 मिनट के अंदर समाधान प्राप्त करने के बारे में बताया एवं केवाईसी ऐप द्वारा अपने क्षेत्र से चुनाव उम्मीदवारों की जानकारी प्राप्त करने के बारे में समझाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों से संकल्प पत्र भरवाए गए। पोस्टर के साथ मानव श्रृंखला बनाकर दिया जागरूकता का संदेश कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने आकर्षक पोस्टर में निर्वाचन के ऑनलाइन एप्लीकेशन वोटर हेल्पलाइन, सीविजील व सक्षम ऐप तथा मतदान केंद्र को दर्शाते हुए तथा 11 नवंबर नोट करें निर्भय होकर वोट करें, जैसे जागरूकता संबंधी नारों के साथ आमजन को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में सीबीईओ बृजमोहन वर्मा, ममता चौधरी, ईएलसी प्रभारी डश्व तनु राजपाल, तरुण डागल, चेतन शर्मा, रामचरण मीणा, स्वीप सदस्य, स्टाफ सदस्य तथा ईएलसी सदस्य मौजूद रहे।

पीठासीन व मतदान अधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण प्रारंभ

पर्यवेक्षक सुभाश्री नंदा ने किया प्रशिक्षण का अवलोकन

पैंतरा न्यूज।

बारां, 28 अक्टूबर। अंता विधानसभा क्षेत्र के तहत मतदान दलों में नियुक्त पीठासीन व प्रथम मतदान अधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण मंगलवार को प्रारंभ हुआ। जिसमें करीब साढ़े सात सौ अधिकारियों ने मतदान की प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्राप्त किया। बटावदी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आयोजित प्रशिक्षण में पर्यवेक्षक सुभाश्री नंदा ने प्रशिक्षण का अवलोकन करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। प्रशिक्षण में मतदान दल के अधिकारियों को ईसीआईनेट एप की कार्यप्रणाली, मोक पोल, प्रपत्र संधारण सहित ईवीएम व वीवीपेट की कार्यप्रणाली सहित उनके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के बारे में समझाया

गया। साथ ही ईवीएम के उपयोग का प्रायोगिक प्रशिक्षण भी दिया गया। इस दौरान प्रशिक्षण प्रभारी व सीईओ राजवीर सिंह चौधरी, एडीएम शाहबाद जब्बर सिंह, एसीईओ हरीश मीणा, एसई मनोज पूरबगोला भी मौजूद रहे। मास्टर ट्रेनर सुनील शर्मा, धर्मेन्द्र मेघवाल के नेतृत्व में दक्ष प्रशिक्षकों ने पीठासीन व मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण में करीब 342 पीठासीन व 342 प्रथम मतदान अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान होम वोटिंग के लिए गठित मतदान दलों में नियुक्त होने वाले 60 मतदान अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया गया।

एसआईआर कार्य में लगे कलक्टर से लेकर बीएलओ तक सभी अधिकारियों के तबादलों पर प्रतिबंध

राजस्थान में एसआईआर शुरू : 70 फीसदी मतदाताओं को नहीं देने होंगे दस्तावेज

जयपुर

राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत राजस्थान के 70.55 प्रतिशत मतदाताओं को किसी भी तरह के दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। साल 2002 से लेकर 2005 की वोटर लिस्ट के डेटा के साथ मौजूद मतदाता सूची का मिलान किया गया है, जिसमें 70.55 फीसदी मतदाताओं के नाम सही मिले हैं।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बिहार में एसआईआर के दौरान दस्तावेज लेने को लेकर जो नकारात्मक वातावरण बना

था, उससे सबक लेते हुए हमने मैपिंग का काम पहले ही शुरू कर दिया था। महाजन ने कहा कि साल 2002 से लेकर 2005 की वोटर लिस्ट के डेटा के साथ मौजूद मतदाता सूची का मिलान किया गया है, जिसमें 70.55 फीसदी मतदाताओं के नाम सही मिले हैं। ऐसे में मतदाताओं को अब किसी प्रकार के दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने पर यह आंकड़ा 80 प्रतिशत के पार भी हो सकता है। महाजन ने बताया कि राजस्थान में 27 अक्टूबर तक 5 करोड़ 48 लाख 84 हजार 570 मतदाता पंजीकृत हैं, इनमें से 70.55 प्रतिशत के नाम पुराने रिकॉर्ड से मेल खा चुके हैं. बीएलओ एप के माध्यम से 40 वर्ष से अधिक आयु के 79.32% मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है, जबकि 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के 22.22% मतदाताओं का मिलान हुआ है।

वोटर मैपिंग में राजस्थान देश में सबसे आगे: महाजन ने कहा कि जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है, उनमें वोटर मैपिंग के मामले में राजस्थान सबसे आगे है. यहां 49.37 प्रतिशत मैपिंग पूर्ण हो चुकी है, जबकि अन्य राज्य इसमें काफी पीछे हैं। गुजरात में 5.73 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 13.41%, मध्य प्रदेश में 20.9%, तमिलनाडु में 21.62% और छत्तीसगढ़ में 24.27 प्रतिशत मैपिंग हुई है।

7 फरवरी को जारी होगी फाइनल सूची: उन्होंने कहा कि एसआईआर के पहले चरण में 31 दिन दस्तावेजों का फेज नहीं रहेगा। इस अवधि में ड्राफ्ट सूची 9 दिसंबर को तैयार की जाएगी। इसके बाद 8 जनवरी तक ड्राफ्ट सूची को लेकर दावा किया जा सकेगा। इसके बाद अंतिम सूची 7 फरवरी को जारी की जाएगी। यदि कोई मतदाता रिटर्निंग ऑफिसर के निर्देश से असंतुष्ट है तो वह कलेक्टर के पास अपील कर सकता है और अंतिम अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास ही की जा सकेगी।1 साल की सजा का प्रावधान: नवीन महाजन ने कहा कि यदि किसी मतदाता का दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम है तो उसे 1 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है।

तबादलों पर रहेगी रोक: एसआईआर कार्य में लगे कलेक्टर से लेकर बीएलओ तक सभी अधिकारियों के तबादलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि मतदाता सूची कार्य बिना किसी व्यवधान के पूरा किया जा सके।

अब राज्यों के बीच डाटा मिलान संभव

महाजन ने कहा कि अब सभी राज्यों की वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास उपलब्ध है। इससे राजस्थान की सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले ऐसे मतदाताओं का भी सत्यापन हो सकेगा, जिनके पारिवारिक संबंध अन्य राज्यों से जुड़े हुए हैं। पहले अन्य राज्यों की वोटर लिस्ट ना होने के कारण इस प्रक्रिया में दिक्कत आती थी, लेकिन अब मशीन रीडिंग फॉर्मेट में डाटा मिलान से यह कार्य आसान हो गया है।

घर-घर पहुंचेगा बीएलओ

नवीन महाजन ने कहा कि बीएलओ घर-घर जाकर गणना फॉर्म भरवाएंगे। यदि कोई परिवार घर पर नहीं मिलता तो बीएलओ तीन बार प्रयास करेगा. तीनों बार न मिलने पर नोटिस चस्पा किया जाएगा। प्रत्येक फॉर्म में अलग क्यूआर कोड होगा, जिससे अब अनलाइन भी भरा जा सकेगा. मृतक स्थाई रूप से बाहर चले गए या डुप्लीकेट नाम की सूची से हटाया जाएगा। एसआईआर के बाद राज्य में प्रत्येक बूथ पर औसतन 890 मतदाता रह जाएंगे। इसके तहत 8,819 नए पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश में कुल 61,309 पोलिंग स्टेशन हो जाएंगे।

दैनिक भास्कर सीकर भास्कर 29-10-2025

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम; राजनीतिक दलों के बूथ एजेंट्स को दिया प्रथम प्रशिक्षण

भास्कर संवाददाता | सीकर

मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के तहत राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट का प्रथम प्रशिक्षण मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व उनके बूथ लेवल एजेंट प्रथम को एसआईआर अभियान के संबंध में संपूर्ण जानकारी देकर प्रशिक्षित किया। ताकि वे इस अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकें।

मुकुल शर्मा ने प्रशिक्षण में एसआईआर अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि अभियान का उद्देश्य पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ना व अपात्र मतदाताओं का नाम सूची से हटाना है। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अपनी समस्या से अवगत करवा सकते हैं। मुकुल शर्मा ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रशिक्षण व गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण व संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। एडीएम रतन कुमार, मास्टर ट्रेनर मुकेश निठारवाल, महावीर सिंह खर्रा सहित अन्य मास्टर ट्रेनरों ने एसआईआर अभियान-2026 के संपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी दी।

सीकर. राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट जानकारी देते हुए।

जिला हेल्प डेस्क स्थापित, 16 घंटे खुली रहेगी

एसआईआर को लेकर हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी मुकुल शर्मा ने बताया कि नियंत्रण कक्ष के प्रभारी जिला साक्षरता व सतत शिक्षा अधिकारी चन्द्र प्रकाश महर्षि (मो. नम्बर 7073105057) को नोडल अधिकारी प्रशासन तथा सत्यनारायण चौहान संयुक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग (मो. 9784018380) को नोडल अधिकारी (तकनीकी) नियुक्त किया। हेल्प डेस्क के नं. 01572-251008 हैं। ये जिला हेल्प डेस्क आठ-आठ घंटे की दो पारियों में 16 घंटे कार्य करेंगे।

राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट को दिया प्रशिक्षण

सत्यापन की कवायद तेज, परेशानी की बात नहीं, हर वोटर को मिलेगा सुनवाई का मौका

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

सीकर. मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिले में भी कवायद शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट प्रथम का प्रशिक्षण मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में हुआ। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं उनके बूथ लेवल एजेंट प्रथम को एसआईआर अभियान के संबंध में जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी मुकुल शर्मा ने कहा कि अभियान का मकसद पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ना व अपात्रों का नाम सूची से हटाना है। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सीधे समस्या बता सकते हैं।

सीकर. जिला परिषद सभागार में राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट प्रथम प्रशिक्षण हुआ।

यह रहेगा कार्यक्रम

उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 28 अक्टूबर से 3 नवम्बर तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। 4 नवम्बर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित होगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक नोटिस पेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन होगा। उन्होंने बताया कि 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

शंकाओं का किया समाधान

प्रशिक्षण में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर रतन कुमार, मास्टर ट्रेनर मुकेश निठारवाल, महावीर सिंह खर्रा सहित अन्य मास्टर ट्रेनरों ने एसआईआर अभियान के बारे में बताया। वहीं बूथ लेवल एजेंट प्रथम की शंकाओं का समाधान किया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने गणन प्रपत्र को समय पर डाउनलोड कर प्रिंटिंग तथा वितरण के संबंध में तथा बीएलओ के हाउस टू हाउस सर्वे को समय पर सुचारू रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण में भाजपा से नवरंग चौधरी, महावीर प्रसाद सैन, मनोज कुमावत, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला, जगदीश दानोदिया, एडवोकेट पुरुषोत्तम शर्मा, माकपा से रामरतन बगड़िया, आम आदमी पार्टी से मुकेश गुर्जर, शिवनाथ सिंह, बसपा से सुरेंद्र सैनी, भंवरलाल दानोदिया, निर्वाचन शाखा से चंद्र प्रकाश, योगेश कुमार गुर्जर आदि ने सहभागिता निभाई।

जिला हेल्प डेस्क स्थापित

जिला निर्वाचन अधिकारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए जिला स्तर पर मॉनिटरिंग तथा विभिन्न सूचनाओं के संग्रहण के लिए जिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। नियन्त्रण कक्ष के प्रभारी जिला साक्षरता अधिकारी चन्द्र प्रकाश महर्षि होंगे। वहीं नोडल अधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक सत्यनारायण चौहान को नियुक्त किया गया है।